

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हमीरपुर

सेवा में,

प्रबन्धक, सेठ छोटेलाल स्कैडमी जूओटा स्कूल राठ

जानपद:- हमीरपुर

पत्र सं.

/ 459-83 / 2008-09

दिनांक: 05-06-2008

विषय

अशासकीय पूर्व माध्यमिक स्तर (कक्षा-06 से 08) तक की अस्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या /217/15-6-92-18एरा(7)/89, दिनांक 11-05-1992 एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं अध्यक्ष बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के पत्र संख्या /शासना/5/2117/96-97 दिनांक 10.02.1997 दिनांक 10.02.1997 में किये गये प्राविधानानुसार मध्यम स्तर पर गठित समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा -06 से 08 तक अस्थायी मान्यता "ब" श्रेणी की इस आदेश निर्गमन विधि से प्रदान की जाती है।

विद्यालय के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें प्राप्त होने पर तथा विभागीय शासकीय आदेशों का पालन न करने एवं प्रतिकूल कक्षाये चलाने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार सचिव, उओप्रो बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को होगा।

शासनादेश में निहित गानक के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नांकित शिक्षक/ शिक्षाणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे।

- | | |
|---------------------------|-----|
| 1- प्रधानाध्यापक | एक |
| 2- सहायक अध्यापक | चार |
| 3- शिक्षक | एक |
| 4- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | एक |

सर्वत जनशक्ति में विज्ञान/ क्रिमाषा /क्राफ्ट अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे।
भवदीय


SECRETARY/MANAGER
Seth Chhoteylal Academy
Rath-Hamirpur (U.P.)




(वी०पी०सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हमीरपुर

- प्रतिलिपि: निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित-
1. जिला, उओप्रो बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. मध्यम स्तर शिक्षा निदेशक (बेसिक) झांसी।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, हमीरपुर।
4. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी राठ।

(वी०पी०सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हमीरपुर